निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 93/2021(रे0वाद)
दायर दिनांक – 09/12/2021
निर्णय दिनांक– 17/01/2025

अनवान

1. रतु पिता गोपा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. मांगु उर्फ मांगीलाल पिता गोपा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. भैरूलाल पिता हीरा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
   वाली (बेवा) पत्नी हीरा मृतक के वारीसान प्रार्थी संख्या 03 है।
4. भंवरलाल पिता घीसू जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5. सीता पुत्री घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज)।
6. सोहनलाल पिता घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
7. पानी पुत्री घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज)।
8. प्रतापी(बेवा) पत्नी घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राज़समन्द (राज.)।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

रतु व अन्य बनाम सरकार
93/2021 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक :–17/01/2025

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादीगण संख्या 01 व 02 के पिता गोपा के वारिसान उनके 05 पुत्र 1. हीरा पिता गोपा 2. घीसा पुत्र गोपा 3. उदा पिता गोपा 4. रतु पुत्र गोपा 5. मांगु पुत्र गोपा थे जिनमें हीरा(मृतक) के वारिसान व वादी संख्या 3 व 4 है तथा घीसा मृतक के वारिसान प्रतिवादी संख्या 04, 05, 06, 07 व 08 है तथा उदा पिता गोपा आज से 26 वर्ष पूर्व 47 वर्ष की आयु से घर छोडकर कहीं चली गये हैं उनका कोई पता नहीं चला है। वादीगण एवं लापता उदा की खातेदारी भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लसानी तहसील देवगढ़ में खसरा संख्या 560 रकबा 0.2200 चाही उत्तम, खसरा संख्या 561 रकबा 0.2700 चाही उतम, खसरा संख्या 562 रकबा 0.1800 चा. उतम, खसरा संख्या 563 रकबा 0.3300 चा.द्वि, खसरा संख्या 952 रकबा 0.020, खसरा संख्या 952 रकबा 0.0500 चाही उतम हैक्टेयर भूमि कुल किता 06 कुल रकबा 1.0700 होकर उसमें लापता उदा का 1/20 हिस्सा व खाता संख्या 436, खसरा संख्या 1188 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1190 रकबा 1.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1192 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1193 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3149 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल किता 06 रकबा 2.8300 हैक्टेयर में लापता उदा का 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 824, खसरा संख्या 3174 रकबा 1.0800 हैक्टेयर इसमें लापता उदा का पूर्ण हिस्सा है। वादीगण का यह वाद लापता उदा पिता गोपा का वाद ग्रस्त आराजी से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण संख्या 01 से लगायत 08 तक का हिस्सा जो गोपा के वारिस माफिक हक हिस्से के आधार पर दर्ज करने हेतु घोषणा का है। वाद का कारण 20 वर्ष से अधिक अर्थात 26 वर्ष से लापता उदा की कोई जानकारी नहीं मिलने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण एवं लापता उदा की खातेदारी भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम लसानी तहसील देवगढ़ में खसरा संख्या 560

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

रकबा 0.2200 चाही उत्तम, खसरा संख्या 561 रकबा 0.2700 चाही उतम, खसरा संख्या 562 रकबा 0.1800 चा. उतम, खसरा संख्या 563 रकबा 0.3300 चा.द्वि, खसरा संख्या 952 रकबा 0.020, खसरा संख्या 952 रकबा 0.0500 चाही उतम हैक्टेयर भूमि कुल किता 06 कुल रकबा 1.0700 होकर उसमें लापता उदा का 1/20 हिस्सा व खाता संख्या 436, खसरा संख्या 1188 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1190 रकबा 1.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1192 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1193 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3149 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल किता 06 रकबा 2.8300 हैक्टेयर में लापता उदा का 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 824, खसरा संख्या 3174 रकबा 1.0800 हैक्टेयर इसमें लापता उदा का पूर्ण हिस्सा है लापता उदा जो हिस्सा जमाबन्दी में बनता है उसका वादीगण वारिसान है। खातेदार उदा पिता गोपा रेगर निवासी लसानी आज से 26 वर्ष पूर्व 47 वर्ष की आयु में लापता हो गया था जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। वादी संख्या 01 व 02 के भाई उदा पिता गोपा का 26 वर्ष पूर्व लापता होने के बाद आज दिन तक कोई पता नहीं चल पाया है उदा को 26 वर्ष पूर्व लापता होने के समय उसकी आयु 47 वर्ष की थी तथा वह जीवित होता तो उसकी आयु 73 वर्ष की होती, जिससे वादीगण को यह विश्वास हो गया है कि हमारा भाई उदा या तो सन्यासी हो गया है अथवा दिवंगत हो गया है कि हमारा भाई उदा या तो सन्यासी हो गया है अथवा दिवंगत हो गया है वादीगण को उसका कोई पता नहीं चल पाया है तथा वो 26 वर्ष की अवधि से लापता(गुमशुदा) है तथा उसकी 26 वर्ष से अधिक के लम्बे समय से कोई जानकारी नहीं मिलने से कानूनन आधार से मृत मानने योग्य हो गया है दर्ज रिकॉर्ड करने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय पटवारी हल्का लसानी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल किया गया। जवाब में उल्लेख किया कि राजस्व ग्राम लसानी उदा पिता गोपा रेगर के नाम जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं० 437

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द

में हिस्सा 1/20 खाता सं० 436 में 1/5 खातेदार व एक अन्य खाता सं० 824 में सम्पूर्ण हिस्सा गेर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्रामिणों के अनुसार उदा पिता गोपा रेगर लापता बताया गया है जो पिछले 28–29 वर्षों से अपने पैतृक गांव लसानी नहीं लौटा है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम लसानी तहसील देवगढ़ में खसरा संख्या 560 रकबा 0.2200 चाही उत्तम, खसरा संख्या 561 रकबा 0.2700 चाही उतम, खसरा संख्या 562 रकबा 0.1800 चा. उतम, खसरा संख्या 563 रकबा 0.3300 चा.द्वि, खसरा संख्या 952 रकबा 0.020, खसरा संख्या 952 रकबा 0.0500 चाही उतम हैक्टेयर भूमि कुल किता 06 कुल रकबा 1.0700 होकर उसमें लापता उदा का 1/20 हिस्सा व खाता संख्या 436, खसरा संख्या 1188 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1189 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1190 रकबा 1.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1192 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1193 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3149 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल किता 06 रकबा 2.8300 हैक्टेयर में लापता उदा का 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 824, खसरा संख्या 3174 रकबा 1.0800 हैक्टेयर इसमें लापता उदा का पूर्ण हिस्सा है। खातेदार उदा पिता गोपा रेगर निवासी लसानी आज से 26 वर्ष पूर्व 47 वर्ष की आयु में लापता हो गया था जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। वादी संख्या 01 व 02 के भाई उदा पिता गोपा का 26 वर्ष पूर्व लापता होने के बाद आज दिन तक कोई पता नहीं चल पाया है उदा को 26 वर्ष पूर्व लापता होने के समय उसकी आयु 47 वर्ष की थी तथा वह जीवित होता तो उसकी आयु 73 वर्ष की होती, जिससे वादीगण को यह विश्वास हो गया है कि हमारा भाई उदा या तो सन्यासी हो गया है अथवा दिवंगत हो गया है कि हमारा भाई उदा या तो सन्यासी हो गया है अथवा दिवंगत हो गया है वादीगण को उसका कोई पता नहीं चल पाया है तथा वो 26 वर्ष की अवधि से लापता(गुमशुदा) है तथा उसकी 26 वर्ष से अधिक के लम्बे समय से कोई जानकारी नहीं मिलने से कानूनन आधार से मृत मानने योग्य हो गया है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अतः राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अंकन किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार है:–

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

30 वर्षों से लापता व्यक्ति के मामलें में तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण आवेदन दायर करने के लिए कानूनी नियम व न्यायालयीन दृष्टिकोण

1. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 (Section 108, Indian Evidence Act, 1872)**

यदि कोई व्यक्ति लगातार 07 वर्षों या उससे अधिक समय से लापता है और उसके बारे में कोई सूचना नहीं है तो उसे कानून मृत मानने की धारण (Presumption of Death) बनाई जा सकती है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ ● जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

यदि सभी उत्तराधिकारी (जैसे–भाई) आपसी सहमति से है और कोई विवाद नहीं है, तो लापता व्यक्ति के हिस्से का नामान्तरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है।

1. तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड (जैसे नामान्तरण) को राजस्व उद्देश्यों के लिए संशोधित करने के लिए अधिकृत है।
2. यदि सभी उत्तराधिकारी सहमत है और कोई आपत्ति नहीं है तो तहसीलदार मृतक की भूमि का नामान्तरण शेष उत्तराधिकारियों के नाम कर सकता है।
3. यदि कोई आपत्ति आती है या मामला विवादित है, तो तहसीलदार मामला नागरिक न्यायालय (सिविल कोर्ट) को रेफर कर सकता है।

न्यायालयधीन निर्णय (Case Laws)

1. **Raghunandan Sharma बनाम राजस्थान सरकार**

राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि 07 वर्ष से अधिक समय से लापता व्यक्ति को मृत मानकर उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरण किया जा सकता है, यदि कोई आपत्ति नहीं है।

2. **Madhya Pradesh High Court, 2024**

यदि विवाद नहीं है, तो तहसीलदार को नामान्तरण के लिए नागरिक न्यायालय का आदेश मांगना आवश्यक नहीं है।

निष्कर्षः–

1. तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण आवेदन दायर किया जा सकता है यदि कोई विवाद नहीं हो।
2. यदि आपत्ति हो या सहमति नहीं हो, तो सिविल कोर्ट से मृत घोषित कराकर नामान्तरण करवाना उपयुक्त रहेगा।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रकरण में घोषणात्मक डिक्री (धारा

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) के तहत उक्त वादग्रस्त भूमि को वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का खारिज किया जाता है एवं वादीगण दाद प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

निर्णय दिनांक :–17/01/2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 93/2021

अनवान

1. रतु पिता गोपा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. मांगु उर्फ मांगीलाल पिता गोपा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. भैरूलाल पिता हीरा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
   वाली (बेवा) पत्नी हीरा मृतक के वारीसान प्रार्थी संख्या 03 है।
4. भंवरलाल पिता घीसू जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5. सीता पुत्री घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज)।
6. सोहनलाल पिता घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
7. पानी पुत्री घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज)।
8. प्रतापी(बेवा) पत्नी घीसा जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।

में इस आशय मे दिनांक 17/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का खारिज किया जाता है एवं वादीगण दाद प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द